रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/92

REGD. No. D.L.-33004/92

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 292] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 15, 1992/वैशाख 25, 1914

No. 292] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 15, 1992/VAISAKHA 25, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be field as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 15 मई, 1992

का. आ. 335(अ).—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे स्वापक औषध एवं मन: प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 3 की उप धारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उप धारा के अधीन आदेश फा. सं. 801/18/91—स्वा. ओ. म.प्र. अध्या.नि. तारीख 10-9-91 यह निदेश देते हुए जारी किया गया था कि श्री अब्दुल करीम मुज्रीन सुपुत्र अब्दुल करीम केन्द्रीय जेल मद्रास की अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे स्वापक औषधियों को खरीदने, लाने-ले-जाने, छिपाने तथा भारत के बाहर निर्यात के लिए उत्प्रेरित करने में लिप्त रहने तथा षड्यंत्र से रोका जा सके ;

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके;

3. अत: अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 8 उपधारा (1) के खंड (अ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के 10 दिन के भीतर पुलिस उपायुक्त, मद्रास के समक्ष हाजिर हो।

[फा० सं० 801/18/91-स्वा०ओ०म०प०अ०ध्या०नि०

प्रकाश चन्द्र, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

ORDER

New Delhi, the 15th May, 1992

S.O. 335(E).—Whereas the Joint Secretary the Government of India, specially empowered un sub-section (1) of Section 3 of the Prevention Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotro Substances Act, 1988 issued order F. No. 801/18/ PITNDPS dated 10-9-1991 under the said sub-sect

directing that Shri Abdul Careem Mujreen S|o Abdul Careem be detained and kept in custody in the Central prison, Madras with a view to preventing him from engaging in abetting and conspiring in purchase, transportation, concealment and export from India of Narcotic Drugs;

2. Whereas the Central Government has reason to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3 Now, therefore, in exercise of powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 8 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Deputy Commissioner of Police, Madras within 10 days of the publication of this order in the official Gazette.

[F. No. 801|20|91 -PITNDPS]
PARKASH CHANDRA, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 5 मई, 1992

का.आ. 336(अ).—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे स्वापक औषध एवं मन: प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 3 की उप धारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उप धारा के अधीन फा. सं. 801/19/91—स्वा. ओ. म. प्र. अध्या. नि. तारीख 10-9-91 यह निदेश देते हुए जारी किया गया था कि श्री साहुल हमीद सलीम सपुत्र साहुल हमीद केन्द्रीय जेल, मद्रास की अभिरक्षा में रखा जाए ताकि वह स्वापक औषधियों को खरीदने, लाने-ले-जाने, छिपाने तथा भारत के बाहर निर्यात के लिए उत्प्रेरित करने में लिप्त रहने तथा षड्यंत्र से रोका जा सके;

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके;

3. अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 8 उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के 10 दिन के भीतर पुलिस उपायुक्त मद्रास के समक्ष हाजिर हो।

[फा. सं. 801/19/91-स्वा. ओ. म. प. अ.व्या.नि.]
प्रकाश चन्द्र, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 15th May, 1992

S.O. 336(E).—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988 issued order F. No. 801|19|91-PITNDPS dated 10-9-1991 under the said sub-section directing that Shri Sahul Hameed Saleem S|o Sahul Hameed be detained and kept in custody in the Central prison, Madras with a view to preventing him from engaging in abetting and conspiring in purchase, transportation, concealment and export from India of Narcotic Drugs;

2. Whereas the Central Government has reason to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 8 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Deputy Commissioner of Police, Madras within 10 days of the publication of this order in the official Gazette.

[F. No. 801|19|91-PITNDPS]
PARKASH CHANDRA, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 15 मई, 1992

का. आ. 337(अ).—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे स्वापक औषध एवं मन: प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 3 की उप धारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उप धारा के अधीन आदेश फा. सं. 801/20/91—स्वा. ओ. म. प्र. अध्या. नि. तारीख 10-9-91 यह निदेश देते हुए जारी किया गया था कि श्री मोहम्मद अब्दुल्लाह मोहम्मद नालीर उर्फ एम. ए. एम. नालीर उर्फ एस. एम. सुपुत्र मोहम्मद अब्दुल्लाह मोहम्मद केन्द्रीय जेल, मद्रास की अभिरक्षा में रखा जाए ताकि वह स्वापक औषधियों को खरीदने, लाने-ले-जाने, छिपाने तथा भारत के बाहर निर्यात के लिए उत्प्रेरित करने में लिप्त रहने तथा षड्यंत्र से रोका जा सके;

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके;

3. अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 8 उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के 10 दिन के भीतर पुलिस उपायुक्त, मद्रास के समक्ष हाजिर हो।

[फा. सं. 801/20/91—स्वा. ओ. म. प. अ.व्या. नि.]
प्रकाश चन्द्र, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 15th May, 1992

S.O. 337(E).—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988 issued order F. No. 801|20|91-PITNDPS dated 10-9-1991 under the said sub-section directing that Shri Mohammed Abdullah Mohammed Naleer @M.A.M. Naleer @S.M. S|o Mohammed Abdullah Mohammed be detained and kept in custody in the Central prison, Madras with a view to preventing him from engaging in abetting and conspiring in purchase, transportation, concealment and export from India of Narcotic Drugs;

2. Whereas the Central Government has reason to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 8 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Deputy Commissioner of Police, Madras within 10 days of the publication of this order in the official Gazette.

[F. No. 801|20|91-PITNDPS]

PARKASH CHANDRA, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 15 मई, 1992

का. आ. 338(अ)—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे स्वापक औषध एवं मन: प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 3 की उप धारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उप धारा के अधीन आदेश फा. सं. 801/21/91-एच. ओ. ज. प्र. अध्या. नि. तारीख 10-9-91 यह निदेश देते हुए जारी किया गया था कि श्री रत्नम सुपुत्र मुथुस्वामी उर्फ पोनुस्वामी केन्द्रीय जेल, मद्रास की अभिरक्षा में रखा जाए ताकि वह स्वापक औषधियों को खरीदने, खाने-ले-जाने छिपाने तथा भारत के बाहर निर्यात के लिए उत्प्रेरित करने में लिप्त रहने तथा षड्यंत्र में रोका जा सके ;

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके;

3. अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 8 उपधारा (1) के खंड (ब) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के 10 दिन के भीतर पुलिस उपायुक्त, मद्रास के समक्ष हाजिर हो।

[फा. सं. 801/21/91 स्वा. ओ. म. प. अ. अध्या. नि.]

प्रकाश चन्द्र, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 15th May, 1992

S.O. 338(E).—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988 issued order F. No. 801|21|91-PITNDPS dated 10-9-1991 under the said sub-section directing that Shri Ratnam S|o Muthuswamy @Ponnuswamy be detained and kept in custody in the Central prison, Madras with a view to preventing him from engaging in abetting and conspiring in purchase, transportation, concealment and export from India of Narcotic Drugs;

2. Whereas the Central Government has reason to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 8 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Deputy Commissioner of Police, Madras within 10 days of the publication of this order in the official Gazette.

[F. No. 801|21|91-PITNDPS]

PARKASH CHANDRA, Under Secy.

Printed by the Managar, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1992